कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर

www.education.rajasthan.gov.in/mcbarmer
Email:-principal.mc.barmer@rajasthan.gov.in Phone No.:-9314710754

कमांकः जीएमसी/बाडमेर/2018/916 दिनांकः– 18/12/2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति कमांक जीएमसी/बाडमेर/2018/663 दिनांक 05.10.2018 के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं आयोजित किये गये साक्षात्कार (walk in interview) में से चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर एवं नीचे अंकित शर्तो पर एतद् द्वारा आवश्यक/अस्थाई (यू.टी.बी.) आधार पर मेडिकल कॉलेज बाडमेर में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क.स.	नाम चिकित्सक	पद (जिसके लिऐ चयन किया गया है)
1	डॉ. महेन्द्र कुमार चौधरी	सहायक आचार्य निश्चेतन विभाग
2	डॉ. रतन लाल जाट	सहायक आचार्य जनरल सर्जरी विभाग
3	डॉ. नेमीचन्द गर्ग	वरिष्ठ प्रदर्शक बायोकेमिस्ट्री विभाग

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार होगीः–

1. उपरोक्त नियुक्ति 6 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक यू.टी.बी. आधार पर रहेगी।
2. एम.सी.आई. द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी।
3. अभ्यार्थी को कार्यग्रहण के समक्ष पूर्व नियुक्ति अधिकारी से कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
4. उपरोक्त चयनित अभ्यार्थियों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अंदर कन्डीशन) एम्प्लाएमेन्ट रूल्स, 2017 लागू होगें।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस में अपनी उपस्थिति प्राचार्य के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया का आगामी दिवसों में निरिक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्वि नहीं की जाएगी। 7 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण मेडिकल कॉलेज के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करा कर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते है अथवा मेडिकल परीक्षण नहीं कराया जाता है अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाऐं बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किऐ जाने के योग्य होंगी।
8. अभ्यर्थी कार्यग्रहण के समय इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
9. अभ्यर्थी को राजमेस के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।
10. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथी/आरक्षण जाति के प्रमाण–प्रत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण–पत्रों से मेडिकल कॉलेज बाडमेर द्वारा डयूटी ज्वाईन करते समय किया जावेगा।
11. कार्यग्रहण स्थल पर जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18.12.18

(डॉ.एन.डी.सोनी)
प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक
राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न
चिकित्सालय समूह, बाड़मेर

कमांकः जीएमसी/बाडमेर/2018/916 दिनांकः– 18/12/2018

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन सयुंक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)
3. समन्वयक, राजमेस चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर (राज.)
4. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह एवं मेडिकल कॉलेज, बाडमेर।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
6. सामान्य शाखा मेडिकल कॉलेज बाडमेर।
7. लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज, बाडमेर।
8. सम्बन्धिक चिकित्सक शिक्षक को ....पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.एन.डी.सोनी)
प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक
राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न
चिकित्सालय समूह, बाड़मेर

Scanned by CamScanner